

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2010/ 538

दिनांक :- 4/5/2010

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए कोटा ट्रोमा हॉस्पिटल, सी.ए.डी. चम्बल गार्डन रोड़, 101, शक्ति नगर, कोटा को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। उपरोक्त चिकित्सालय द्वारा इन्डोर पेंशेन्ट के कुल बिल पर 21 प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

51-
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
6. कोटा ट्रोमा हॉस्पिटल, सी.ए.डी. चम्बल गार्डन रोड़, 101, शक्ति नगर, कोटा ।
फोन नम्बर- 07442500540 एवं 9829037940।
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

8
सचिव